न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 419–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 197/अपील/11–12.

मेसर्स कोलार बिल्डर्स
द्वारा पार्टनर श्रीमती तहसीन फारूखी
पत्नी सबाउद्दीन फारूखी
निवासी म.नं. 33, ढेरपुरा
कमला पार्क, भोपाल , म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

1– भागमल आ. स्व. हरभजन
2– रामफूल आ. स्व. हरभजन
3– श्रीमती सुक्को बाई विधवा स्व. हरभजन
निवासीगण ग्राम थुआखेडा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री फरीद खान, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/3/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, हुजूर के समक्ष ग्राम थुआखेडा तहसील हुजूर जिला भोपालस्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 55 रकबा 2.020 हेक्टेयर पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 18–5–2007 से कय की जाकर नामांतरण हेतु

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 17–5–2010 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पट्टे की भूमि है, और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विकय नहीं की जा सकती है । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8–11–2010 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–11–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता संशोधन अधिनियम 1992 दिनांक 28–10–92 को लागू हुआ है, जबकि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार उसके पूर्व ही प्राप्त हो चुके थे, इसलिए सक्षम अधिकारी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 165 (3) एवं 165 (7) के अंतर्गत आदेश पारित करने में भूल की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 547 ए/13 में दिनांक 10–3–14 को आदेश पारित कर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण कराने का अधिकारी घोषित किया गया है, और व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभय पक्ष के मध्य प्रचलित वाद कमांक 547ए/13 में दिनांक 10–3–14 को व्यवहार न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया है, किन्तु व्यवहार न्यायालय के उक्त आदेश के संबंध में अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में कोई विवेचना नहीं की गई है, जबकि व्यवहार न्यायालयय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के

साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 10–3–14 के प्रकाश में प्रकरण में पुनः विचार कर विधिसंगत आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2015 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर